(18)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला वीकानेर

मुकदमा नम्बर 38/2020

निर्णय दिनांकः २०.१.२०२१

ऑनलाईन नम्बर 2020/00086

1. कालूराम पुत्र किशनाराम जाति मेघवाल निवासी बापेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ जिला वीकानेर
2. मेघाराम पुत्र किशनाराम जाति मेघवाल निवासी बापेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ जिला वीकानेर,
3. सुखी पत्नी किशनाराम जाति मेघवाल निवासी बापेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ जिला वीकानेर

—प्रार्थीगण—

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीडूंगरगढ

—अप्रार्थी—

उपस्थितिः—

1. श्री कैलाश सारस्वत अभिभाषक प्रार्थी।
2. पैरोकारराज स्टेट की तरफ से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

यह प्रार्थना पत्र कालूराम वगैरहा ने जरिये अधिवक्ता मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण गांव बापेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ के मूल निवासी है। जिनकी संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 510 रकबा 8.10 हैक्टेयर मय गै.मु. रास्ता 0.13 हैक्टेयर रोही ग्राम बापेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ में स्थित है। उक्त खेत प्रार्थीगण का पैतृक खेत है जो प्रार्थीगण के विरासतन खातेदारी के रूप में दर्ज हुआ है। यह कि खेत खसरा नम्बर 510 आबादी ग्राम बापेऊ के पास स्थित होने से मौके पर कम एवं कई लोगो ने आबादी भूमि की आड लेकर बाडे आदि बना रखे है। यह कि प्रार्थीगण ने माह जुलाई 2020 में तहसीलदार महोदय श्रीडूंगरगढ के समक्ष अपने खातेदारी खेत की पैमाईश करवाने के लिए आवेदन किया तो तहसीलदार राजस्व श्रीडूंगरगढ ने हल्का पटवारी बापेऊ को आदेश क्रमांक भू.अ./2020/802 दिनांक 14.07.2020 के द्वारा प्रार्थीगण के खेत की पैमाईश करने का आदेश दिया तब हल्का पटवारी बापेऊ उक्त आदेश दिनांक 14.07.2020 की पालना में दिनांक 29.07.2020 को सीमाज्ञान हेतु गठित टीम भू.अ.निरीक्षक पटवारी राजेडू को साथ लेकर प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 510 रोही ग्राम बापेऊ की पैमाईश करने पहुंचे तथा मौके पर प्रार्थीगण व गांव के अन्य लोग मौजूद थे। यह कि प्रार्थीगण के खेत का माप किया तो मौके पर भूमि कम पाई गई तथा खेत पड़ौसियों ने माप करने से मना कर दिया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की गई आज दिनांक 29.07.2020 को श्रीमान तहसीलदार महोदय श्रीडूंगरगढ के आदेश क्रमांक भू.अ./2020/802 दिनांक 14.07.2020 की पालना में सीमाज्ञान हेतु गठित टीम श्री गिरधारीलाल भू.अ. निरीक्षक बापेऊ, श्री हरीराम पटवारी राजेडू व श्री सुरेन्द्र कुमार पटवारी बापेऊ, रोही गांव बापेऊ के खसरा नम्बर 510 तादादी 8.10 हैक्टेयर खातेदार कालूराम पुत्र किशनाराम वगैरह जाति मेघवाला के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर मुताबिक अक्श जरीब चलाकर सीमाज्ञान करवाया गया और खातेदार को सीमाज्ञान चिन्ह बताया गया। खसरा नम्बर 510 में लगभग 14 घर बसे हुए है। सीमाज्ञान से खातेदार संतुष्ट है। मौका फर्द मौके पर बनाकर उपरिथत जन को सुनाया गया व हस्ताक्षर करवाये। परन्तु पटवारी हल्का द्वारा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

(12)

अपनी रिपोर्ट में कही नही बताया कि 14 घर खेत की किया दिशा व कितनी भूमि पर बने हुए है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के पास अपने खेत की पैमाईश करवाकर पत्थरगढी करवाने के अलावा अन्य कोई चारा नही है। यह कि तहसीलदार राजस्व रिकॉर्ड का संधारणकर्ता होने व तहसीलदार श्रीडूंगरगढ के आदेशानुसार ही पटवारी हल्का द्वारा वर्णित खेत की पैमाईश की फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की है, इसलिए स्टेट आवश्यक पक्षकार है। यह कि वर्णित खेत खसरा नम्बर 510 रोही ग्राम बापेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ में होने से यह प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी न्यायालय श्रीमान के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का है जो पूर्ण न्याय शुल्क पर पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जा काश्त के खेत खसरा नम्बर 510 रकबा 8.10 हैक्टेयर मय गै.मु. रास्ता 0.13 हैक्टेयर रोही ग्राम बापेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ की पैमाइश करवाई जाकर पत्थरगढी के आदेश अप्रार्थी को प्रदान करें।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकार राज ने उपस्थित होकर जवाव पेश किया। बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। संक्षेप में प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया गया।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 510 रकबा 8.10 हैक्टेयर मय गै.मु. रास्ता 0.13 हैक्टेयर रोही ग्राम बापेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ की खातेदारी प्रार्थीगण की पृथक से दर्ज है। खसरा नम्बर 510 के सीमा चिन्ह जो नक्शे में मौजूद है उनके आधार पर अन्यथा मौके के अनुसार प्रार्थीगण/अप्रार्थीगण की उपस्थिति में सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगगरढ को 1000/–रू. की कोस्ट पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। फीस कमिशनर प्रार्थीगण द्वारा वहन की जावेगी। विवाद की स्थिति में पुलिस जाब्ता लेकर सीमाज्ञान कर पत्थगढी करवाया जाना सुनिश्चित करावें। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ नियमानुसार राशि राजकोष में प्रार्थीगण से जमा कर भूमि की पत्थरगढ़ी करवाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमीलपूर्ति नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर) सत्यमेव जयते

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)